प्रेस विज्ञप्ति
09.06.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स जेसी वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इन्वेस्टर्स क्लिनिक इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की मौजूदा बाज़ार कीमत क्रमशः लगभग 40 करोड़ रुपये और 60 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह कुर्की व्यापक पैमाने पर जनता के धन के दुरुपयोग व धोखाधड़ी के संबंध में धन-शोधन की उस जांच का हिस्सा है जिसमें मेसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल), मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) व उनसे संबंधित कंपनियाँ शामिल हैं।

ईडी ने जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स प्रोजेक्ट्स के घर खरीदारों के द्वारा उक्त कंपनी व उसके प्रमोटरों के विरुद्ध आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी व आपराधिक विश्वासघात की शिकायतों के आधार पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आरोप है कि हज़ारों घर खरीदने वालों से उक्त आवासीय परियोजनाओं के निर्माण व उनको पूरा करने के लिए इकट्ठा की गई धनराशि निर्माण के अलावा दूसरे कामों में लगा दी गई, जिससे घर खरीदने वालों के साथ धोखा हुआ और परियोजनाएं अधूरी रह गईं।

ईडी की जांच से पता चला है कि जेएएल और जेआईएल ने घर खरीदने वालों से लगभग 32,825 करोड़ रुपये इकट्ठा किए (जैसा कि एनसीएलटी ने माना है), इसमें से काफी धनराशि को गैर-निर्माण कार्यों के लिए विपथित कर दी गई तथा संबंधित कंपनियों जिसमें मेसर्स जेसी वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड शामिल है, को दे दी गई। इसके अलावा, जांच से पता चला है कि भूखंड के रूप में अपराध से अर्जित आय मेसर्स इन्वेस्टर्स क्लिनिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दी गई है।

इससे पूर्व उक्त मामले में, मेसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) और मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ को जेपी समूह व उसकी सहयोगी कंपनियों की विभिन्न कंपनियों से जुड़े लेनदेन के एक जटिल जाल के माध्यम से धनराशि विपथन की योजना बनाने और उसे पूरा करने में अहम भूमिका निभाते हुए पाया गया था। तदनुसार, मनोज गौड़ को 13.11.2025 को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

इसके बाद, 07.01.2026 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया, जिसके तहत अपराध से अर्जित आय, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत लगभग 400 करोड़ रुपये है, को कुर्क किया गया। इसके बाद, मनोज गौड़ को आरोपित बनाते हुए माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष 08.01.2026 को एक अभियोजन शिकायत दायर की गई।

आगे की जांच जारी है।